महत्वपूर्ण

संख्या–1946/69-1-97-68 एन.आर.वाई./94 II

प्रेषक,

श्री सुबोध नाथ झा,
प्रमुख सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण,
आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, बरेली, गोरखपुर, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, गाजियाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर एवं रायबरेली।

लखनऊ : दिनांक : 12 दिसम्बर, 1997

नगरीय रोज़गार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग

विषय : सूडा द्वारा संचालित योजनान्तर्गत नगरीय मलिन बस्तियों में बेसिक शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु अन्तर विभागीय समन्वय।

महोदय,

राज्य नागर विकास अभिकरण, उ.प्र. द्वारा संचालित विभिन्न केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अभिसरण (कनवरजेन्स) के अन्तर्गत नगरीय मलिन बस्तियों में निवास कर रहे व्यक्तियों को बेसिक शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 26 अगस्त, 1997 में आयोजित कार्यशाला के आधार पर की गयी संस्तुतियां निम्नवत है:–

संस्तुतियां:–

(1) अध्यापकों द्वारा अपनी बाल गणना पंजिका (बाल–जनगणना) को नियमित अधावधिक करना चाहिए। सी.डी.एस. प्रत्येक घर में कम्युनिटी एवं अध्यापक के बीच बैठक होती रहेगी ताकि परस्पर सहायता से कार्य आगे बढ़ाया जा सके।

(2) सहायक परियोजना अधिकारी, सदस्य सी.डी.एस., आर..सी.वी. एवं बालबाड़ी के अध्यापक समूह बैठकें करेगें एवं उपलब्ध विद्यालयों के विषय में सूचना देंगे, जिससे कम्युनिटी में बच्चों को विद्यालय भेजने की प्रेरणा में सहायता रहेगी। इसके पश्चात पंजीकरण, सहायक परियोजना अधिकारी की सहायता से अध्यापकों द्वारा किया जायेगा।

(3) सी.डी.एस. संयोजक को अवश्यम्भावी रूप से नगर शिक्षा समिति का सदस्य बनाया जाये।

अन्य व्यवस्थायें:–

(1) डूडा द्वारा अन्य उपलब्ध शिक्षण कार्यक्रम जैसे– डी.पी.ई.टी. एवं वर्ल्ड बैंक आदि की जानकारी/पब्लिक सूचना एकत्र करेंगे जिससे इस परियोजना में सहायता मिल सकेगी।

(2) शिक्षा के लिए भवन इतना आवश्यक नहीं है जितना कि यह आवश्यक है कि एक स्थान शिक्षा प्रदान करने के लिए सुनिश्चित रहें। यदि शिक्षा गुणात्मक एवं बच्चों को खुश रखने वाली होगी तो बच्चे अवश्य विद्यालय नियमित रूप से जायेंगे। कम वर्ष में अस्थायी ढांचे का निर्माण किया जा सकता है, मात्र उपयुक्त भवन के अभाव से शिक्षण/पाठन रुकना नहीं चाहिए।

(3) अध्यापकों को आवश्यकतानुसार तैनात किया जाता रहेगा।

(4) स्वयं सेवी संस्था, रोटरी एवं लायन क्लब आदि संस्थाओं को भी मलिन बस्तियों में शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध/प्रयोग किया जा सकता है।

(5) बेसिक पाठशाला के साथ क्रेच की भी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे वह बच्चे जिनसे यह अपेक्षा की जाती है कि अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करेंगें, भी विद्यालय जा सके। इस हेतु सूडा द्वारा पृथक से धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।

प्रशिक्षण–

(1) जनपदीय शिक्षण/प्रशिक्षण संस्थाओं (डी.आई.ई.टी.) को भी प्रशिक्षण हेतु उपयोग किया जा सकता है।

(2) नियमित पाठ्यक्रम के अतिरिक्त बच्चों को वैयक्तिक सफाई, पर्यावरणीय वातावरण एवं स्वास्थ्य एवं पुष्टाहार सुधारने के संबंध में भी प्रशिक्षित किया जा सकता है।

2. विभिन्न मलिन बस्तियों में योजनाओं के तहत निर्मित सामुदायिक केन्द्रों को शिक्षण स्थल हेतु उपलब्ध कराये जाने के आधार पर बेसिक शिक्षा विभाग, उ.प्र. शासन द्वारा निर्धन बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा देने पर अपनी सहमति प्रदान कर दी है।

3. अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त संस्तुतियों के आधार पर नगरीय निर्धनों के बच्चों तक प्राथमिक शिक्षा पहुँच को साकार कर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। इस संबंध में हुयी प्रगति से शासन को भी अवगत कराये।

कृपया इसे प्राथमिकता दें।

भवदीय,

(एस.एन. झा)
प्रमुख सचिव

संख्याः **1946(1)/69-1-97-68** एन.आर.वाई./**94 II** तद्दिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) समस्त मुख्य नगर अधिकारी/परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, समस्त नगर निगम, उ.प्र.।

(2) परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, संबंधित जनपद।

(3) निदेशक, सूडा, उ.प्र. को इस आशय के साथ कि वे उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कर प्रभावी अनुश्रवण कराये।

(4) सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ.प्र. शासन।

(5) प्रोजेक्ट, आफीसर, यूनीसेफ, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, लखनऊ।

आज्ञा से,

(हेमलता ढौंडियाल)
संयुक्त सचिव